12 6/24.

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम -11 पर पूर्व में सुनी जा चुकी है।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.4932 है०, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.1265 है० ग्राम नंगल जैसा बोहरा, तहसील व पिला - जयपुर, वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भुवाना पुत्र बालू के नाम दर्ज है। एवं मौके पर सघन आबादी विकसित है, उक्त भूमि

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

...लय

सुवालाल बनाम गिरधारी

...मा संख्या / वर्ष दावा 05/2023 /20

...0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/6/24	कृषि योग्य शेष नहीं बची है। उक्त विचाराधीन भूमि में ना तो वादी रिकॉर्डेड खातेदार है, ना ही भूमि कृषि योग्य है। ऐसे में वादी का वाद Barred by law होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी / वादी अधि० ने अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति में जमाबंदी की प्रति न्यायालय के अभिलेख पर है, जिसमें वादग्रस्त आराजी 'कृषि भूमि' के रूप में ही दर्ज है। इसके साथ ही अप्रार्थी अधि० ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादीगण / प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया कि सिविल प्रक्रिया	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय ______ बनाम ______

______ /20

मुकदमा संख्या / वर्ष

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	12/6/24	संहिता के कौनसे प्रावधान वादी के वाद-पत्र को वर्जित करते है। उक्त प्रार्थी का प्रा०पत्र सारहीन, निरर्थक है, जो खारिजी योग्य है। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेजात के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वादी, उक्त वादग्रस्त आराजी में ना तो रिकॉर्डेड खातेदार है और ना ही वादी ने खातेदार अधिकारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसलिए बिना खातेदार अधिकारी हुए वादी को कोई Cause of Action / वाद - कारण	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्याय

सुवालाल बनाम गिरधारी

संख्या / वर्ष : दावा 05/2023 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/6/24	ही उत्पन्न नहीं हो सकता। धारा - 188, राज० काश्तकारी अधि० 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जा सकता, जो अभिधारी नहीं है। केवल रिकॉर्डेड खातेदार ही धारा - 188 के अन्तर्गत वाद दायर कर सकता है। सारतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद, धारा-188, राज० काश्तकारी अधि०-1955 से वर्जित/बाधित होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने की स्थिति में खारिज किया जाता है।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/6/24	निर्णय आज दिनांक 12/6/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम